# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

**पो0 आ0–गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार**
दूरभाष संख्या– (01334) 244143, 242331,242332, 18001804143 (Toll Free)
आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in

विज्ञापन संख्या– 345/58(02)/डी0आर0(पशु चि0)/सेवा–01/2016–17 दिनांक: 01.08.2016

## पशुचिकित्साधिकारी, ग्रेड–02 के रिक्त 97 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन।

| | |
|---|---|
| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | **02.08.2016 (मंगलवार)** |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि | **16.08.2016 (मंगलवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक)** |
| e-challan का प्रिन्टआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | **18.08.2016 (बृहस्पतिवार) (सांय 4:59:59बजे तक)** |
| परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि | **20.08.2016 (शनिवार) ( बैंक समयावधि तक)** |
| परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि | **20.08.2016 (शनिवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक)** |
| आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों की सत्यापित प्रति तथा शुल्क जमा करने की रसीद इत्यादि को आयोग कार्यालय में जमा करने/प्राप्त होने की अंतिम तिथि | **30.08.2016 (मंगलवार) (सांय 5:00बजे तक)** |

**<u>अति महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–**

**01– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।**

**02– आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (scrutiny) आयोग द्वारा नियमानुसार सम्पादित की जायेगी।**

**03– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 16.08. 2016 (मंगलवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक) तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "Online Application" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करना है, तभी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।**

**04– अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

**05– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक**

योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करे ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

06– परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते है। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने अथवा साक्षात्कार हेतु आहूत किये जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

07– ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शायें गये विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

08– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन एवं **e-challan/Net Banking/Debit Card** के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

09– अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि तक का इंतजार न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र भर दें।

10– एक अभ्यर्थी के नाम से एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

11– प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में साक्षात्कार के पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

12– अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र के लिए परिशिष्ट–01, स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–02, **Experience Certificate** के लिए परिशिष्टि–03 तथा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग **(CGPA,OGPA,SGPA etc.)** प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु परिशिष्ट–04 का अवलोकन करें।

13– साक्षात्कार से पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु समस्त प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण आदि) की छायाप्रति कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

## पशुचिकित्साधिकारी, ग्रेड–02

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह–ख के अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी के 97 पदों पर सीधी भर्ती वर्ष 2016–17 द्वारा चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु सीधे साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है

**01. रिक्तियों की संख्या** :– रिक्तियों की कुल संख्या 97 है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः–

**(क) पशुचिकित्साधिकारी, ग्रेड(2) – 97 पद**

| क्र. सं. | श्रेणी | रिक्त पदों की स्थिति | क्षैतिज आरक्षण | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | महिला | भूतपूर्व सैनिक | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित | शारीरिक रूप से विकलांग |
| 1. | सामान्य | 52 | 16 | 03 | 01 | 02(01 पद PB व 01 पद PD) |
| 2. | अनु0 जाति | 35 | 11 | 02 | 01 | 01(OA/OL) |
| 3. | अनु0 जनजाति | 03 | 01 | – | – | – |
| 4. | अ0 पिछड़ा वर्ग | 07 | 02 | – | – | – |

रिक्तियों की यह संख्या बढायी या घटायी जा सकती है।

**02.अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :–**

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (BVSc एण्ड AH) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उपाधि या समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 (अधिनियम सं0 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता।

(ख) उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् में सम्यक् रूप से पंजीकृत हो।

**03.अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो):–** अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। जिसने :–

**(क)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

**(ख)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

**(ग)** स्नातकोत्तर डिप्लोमा उपाधि या उच्च अर्हता प्राप्त की हो।

**नोटः अधिमानी अर्हता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा अनुभव हेतु परिशिष्ट–03 के अनुसार प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।**

**04. वेतनमानः–** ` 15600–39100– ग्रेड पे ` 5400 / –

**05. पद का स्वरूप व पेंशन योजनाः–** राजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

**06. आयु सीमा :—**

**(1) आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2016 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1995 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)**

**(2) उच्चतम आयु सीमा में छूट :—** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय—समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**07. राष्ट्रीयता:—** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

**टिप्पणी** :— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

**08. चरित्र :—** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

**टिप्पणी** :— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**09. वैवाहिक प्रास्थिति :—** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

**10. शारीरिक स्वस्थता :—** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा कि जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने
की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्तपुस्तिका, खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिष्द की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

**11. आरक्षण:—** ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

**(क)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित, निःशक्त (विकलांग) तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे। क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश के क्रम में तथा तत्क्रम में शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

**(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।**

**(ग)** आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट–1" में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–1"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत् प्रमाणित कराकर साक्षात्कार परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें। अन्य पिछडा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 16.08.2016 के एक वर्ष पूर्व अर्थात् 17.08.2015 से पूर्व का न हो।

**12. आवेदन पत्र का स्वरूप :–** उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह–ख के अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी के 97 पदों पर आवदेन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

| | |
|---|---|
| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | **02.08.2016 (मंगलवार)** |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि | **16.08.2016 (मंगलवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक)** |
| e-challan का प्रिन्टआउट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि | **18.08.2016 (बृहस्पिवार) (सांय 4:59:59बजे तक)** |
| परीक्षा शुल्क e-challan द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि | **20.08.2016 (शनिवार) (बैंक समयावधि तक)** |
| परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि | **20.08.2016 (शनिवार) (रात्रि 11.59:59 बजे तक)** |
| आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों की सत्यापित प्रति तथा शुल्क जमा करने की रसीद इत्यादि को आयोग कार्यालय में जमा करने/प्राप्त होने की अंतिम तिथि | **30.08.2016 (मंगलवार) (सांय 5:00बजे तक)** |

## 13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

**(I)** अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जायें।

**(II)** ऑनलाइन आवेदन हेतु **APPLICATION FOR Veterinary officer grade-2 EXAM-2016** के सम्मुख "**Click Here**" पर जाएं एवं Continue करें।

**(III)** वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(IV) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Reset पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में Continue पर Click करें।

(V) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ JPG Format **(40 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो)** एवं हस्ताक्षर JPG Format **(20 KB से अधिक एवं 10 KB से कम न हो)** में अपलोड करने होंगे।

(VI) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी Update पर Click करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में I Agree पर Click करें।

(VII) आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे सन्दर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(VIII) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के 48 घण्टे अर्थात 02 दिन पश्चात् ही अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते है। इसके लिए अभ्यर्थी www.ukpsc.gov.in पर जायें और "Submit the fee after 48 hours of filling the form" पर क्लिक करें।

(IX) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क एस.बी.आई. e-challan द्वारा **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी Net Banking/ Debit Card द्वारा भी परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

**14. शुल्क :–**अभ्यर्थी को एस.बी.आई. e-challan/Net Banking/Debit Card के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

| क्र0सं0 | श्रेणी | शुल्क |
|---|---|---|
| 01 | अनारक्षित एवं उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) | रू0 150/– मात्र |
| 02 | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0) एवं उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (एस0टी0) | रू0 60/– मात्र |
| 03 | उत्तराखण्ड विकलांग/पूर्व सैनिक | रू0 60/– मात्र |

(I) निर्धारित अंतिम तिथि के बाद में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा उसे निरस्त माना जायेगा।

(II) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में किसी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा।

(III) **Net Banking/Debit Card** के माध्यम से किये गये परीक्षा शुल्क भुगतान पर सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।

## 15. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

**(02)** अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 (यथा संशोधित 2016) और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

**(03)** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वह पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वह विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नही होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

**(04)** आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वह संतुष्ट हो कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

**(05)** परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु आहूत किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

**(06)** हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

**(07)** यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

**(08)** प्रश्नगत परीक्षा हेतु शुल्क मात्र एस.बी.आई. e-challan द्वारा **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुल्क Net Banking/ Debit Card द्वारा स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**(09)** यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए इन सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं हो तो आयोग प्राक्चयन परीक्षण (स्क्रीनिंग परीक्षा) आयोजित करके साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की छंटनी कर सकता है।

**(10)** न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग परीक्षा की दशा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट में प्रसारित की जायेगी।

**(11)** पद/पदों के लिए आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा निम्नलिखित नगरों पर आयोजित की जायेगी।

| **क्रम सं0** | **परीक्षा केन्द्र/नगर का नाम** | **केन्द्र/नगर कोड** |
|---|---|---|
| **01.** | हरिद्वार (हरिद्वार) | 01 |
| **02.** | हल्द्वानी (नैनीताल) | 02 |

अभ्यर्थी **ऑनलाईन आवेदन करते समय परीक्षा हेतु नियत परीक्षा केन्द्र का कोड अवश्य अंकित करें।** केन्द्र का कोड अंकित न किये जाने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार में ही परीक्षा आयोजित करायी जाएगी।

**(12) अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में अस्वीकृत ज्ञाप डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अस्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।**

**(13) स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।**

**(14)** अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जायेगा, परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक का पहचान पत्र एवं शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक का पहचान पत्र एवं शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

**(15)** गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

**(क)** प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

**(ख)** प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

**(ग)** यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

**(16)** वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**(17)** परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वह इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उनपर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

**(18)** अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

**(19)** परीक्षा भवन में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

**(20) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

**(21)** स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष आयोग द्वारा नियमानुसार निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करना आवश्यक है। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांकों को साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जायेगा, साक्षात्कार परीक्षा हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित है।

**(22)** साक्षात्कार से पूर्व आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरकर तथा दावों के क्रम में सभी

अभिलेखों को स्वप्रमाणित कर निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध करा दें। साक्षात्कार के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है या ससमय आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

**(23)** केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु आहूत किये जायेंगे जो आवेदन पत्रों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकता होने पर आयोजित होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा सफल घोषित किये जायेंगे।

**(24)** साक्षात्कार हेतु आवश्यक प्रपत्र आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। साक्षात्कार के समय प्रपत्र के साथ सभी शैक्षिक व अधिमानी अर्हता, अनुभव व श्रेणी सम्बंधी प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी आवश्यक है।

**(25)** साक्षात्कार के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे तथा इसी समय अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

**(26)** केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रूप में** प्रस्तुत करना होगा।

**(27)** कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 (यथा संशोधित 2016) के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**(28)** आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

**(29)** यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

**(30)** आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

**(30)** अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

**(31)** चयन परिणाम पद हेतु विहित संगत सेवा नियमावली एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015) के प्राविधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

**(32)** सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रत्येक चरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 (प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014 एवं तृतीय संशोधन–2015) द्वारा विहित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट में सम्मिलित किया जायेगा।

**(एस0एन0पाण्डे)**
**सचिव।**

<u>परिशिष्ट–1</u>

**उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।**
**प्रमाण–पत्र का प्रारूप**

**उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र**
**(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ...................................................................................... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ............................................................................................ निवासी ग्राम .................................. तहसील ........................ नगर .......................... जिला ............................ उत्तराखण्ड की .....................................................जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश–1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ...............................................................................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ............................. तहसील ........................नगर ............................जिला ...................................... में सामान्यतया रहता है।

**स्थान :**
**दिनांक :**
**मुहर :**

**हस्ताक्षर ..................................**
**पूरा नाम ..................................**
**पदनाम ....................................**
**जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।**

**उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र**

**(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................................................. सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ............................................................................ निवासी ग्राम ................................................. तहसील ................................नगर ........................................ जिला ........................................ उत्तराखण्ड के राज्य की .......................... ............... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..................................................... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ................. . तहसील .................................................... नगर .................................... जिला ..................................में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ...................................

पूरा नाम ..................................

पदनाम ....................................

मुहर .........................................

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र**
**शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997**
**(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**
**प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................................................. सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ............................................................................ निवासी ग्राम ................................................तहसील .. .......................................... नगर .............................................. जिला ............................................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) ............................................................................................. पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ...................................
पूरा नाम....................................
पदनाम ....................................
मुहर .........................................
जिलाधिकारी ...........................
(सील) ......................................

**संस्थान/अस्पताल का नाम और पता**

प्रमाण पत्र संख्या – ................................................. तारीख ...............................

**निःशक्तता प्रमाण–पत्र**

| |
|---|
| चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो। |

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0........................................................................ सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ...........................................................................आयु ............................... लिंग .....................पहचान चिन्ह ..............................................................निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

**क.** गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

**(i)** दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

**(ii)** दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

**(iii)** दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए)–दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

**(iv)** एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

**(v)** एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

**(vi)** पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

**(vii)** कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

**ख.** अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

**(i)** बी – अंधता

**(ii)** पी बी – ऑशिक रुप से अंधता

**ग.** कम सुनाई देना

**(i)** डी–बधिर

**(ii)** पी डी – ऑशिक रुप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

**2.** यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .................वर्षों ............. महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ............... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी                                         अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) | पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) | एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) | के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) | बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) | एस–बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) | एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) | डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) | एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) | एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) | आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| **डा0.............................................)** | **(डा0.............................................)** | **(डा0.............................................)** |
| **सदस्य** | **सदस्य** | **सदस्य** |
| **चिकित्सा बोर्ड** | **चिकित्सा बोर्ड** | **चिकित्सा बोर्ड** |

**चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/**
**अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित**
**(मुहर सहित)**

* जो लागू न हो काट दें।

"परिशिष्ट–02"

# समूह 'ख' के पदों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम

## (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

**समयः 2 घण्टे** **प्रश्नों की संख्या :150** **पूर्णांक : 150**

## खण्ड–1 सामान्य अध्ययन

**प्रश्नों की संख्या : 70** **पूर्णांक : 70**

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम–सामयिक घटनाएं
2. खेल एवं मनोरंजन
3. भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक)
4. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
5. भारत एवं विश्व भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं कृषि
6. प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, सतत एवं समावेशी विकास
7. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबन्धन
8. भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक
9. भारतीय संविधान का प्राथमिक ज्ञान–भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, **संघीय कार्यपालिका**– राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, **संघीय व्यवस्थापिका**– संसद, **न्यायपालिका** –सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, **राज्य सरकार तथा प्रशासन** – राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान सभा, पंचायती राज संस्थाएं।
10. **मानवाधिकार** –मानवाधिकार का अर्थ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं (1948), भारत में मानवाधिकार तथा कर्तव्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
11. **ग्रामीण एवं नगरीय विकास के विभिन्न आयाम।**
12. **सामान्य विज्ञान**–दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।
13. **विकास एवं पर्यावरणीय समस्याएं**–विकास से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैसों का विसर्जन, इन समस्याओं से बचने के उपाय;पर्यावरण संरक्षण कानून।
14. **जैव–प्रौद्यौगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे** –जैव प्रौद्योगिकी, नये रोग रोधक टीकों का विकास, आनुवांशिक रूप से विकसित पौधे, मनुष्य के कटे तथा निर्जीव अंगों का पुनर्विकास, बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषण की रोकथाम, जैविक ईंधन।
15. **भारत में विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी का विकास –(अ) ऊर्जा एवं जल संसाधन** – ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा संरक्षण, परम्परागत ऊर्जा स्रोत, नवकरणीय ऊर्जा, भारतीय जल संसाधनों के प्रकार, उपयोग तथा प्रबन्धन।

(ब) **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्यौगिकीतथा कम्प्यूटर** –सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी का भारत के परिप्रेक्ष्य में विकास, उपयोगिता तथा दुष्परिणाम। कम्प्यूटर के मूलभूत भाग, सरंचना तथा उपयोग।

## खण्ड–2

## उत्तराखण्ड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान

**प्रश्नों की संख्या : 20** **पूर्णांक : 20**

1. **सामान्य भूगोल –** स्थिति एवं विस्तार, संरचना व उच्चावचन, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनांकिकी संरचना, यातायात एवं संचार–तंत्र।
2. **इतिहास–**
   **क– प्राचीन काल–** निवास करने वाली जाति/प्रजातियां, राजवंश (कुणिन्द, पौरव एवं कत्यूरी)।
   **ख– मध्यकाल–**उत्तर कत्यूरी, चन्द और पंवार राजवंश।
   **ग– आधुनिक काल–**गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का परिदृश्य।
3. **प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन –** जल, वन, वन्य जीव संरक्षण– पार्क एवं अभयारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी।
4. **राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश–** राज्य, जनपद व तहसील स्तर का प्रशासनिक संगठन।
5. **शिक्षा एवं संस्कृति–** उत्तराखण्ड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बोली/भाषा, रीति–रिवाज, उत्सव व मेले।
6. **समाज सुधार आंदोलन–** कुली बेगार, डोला– पालकी एवं वन आंदोलन।
7. **आर्थिक विकास–** जल–विद्युत्, औद्योगिक, औद्यानिक एवं पर्यटन तथा औषधि उद्योग संवर्द्धन।
8. **विकासपरक योजनाएं–** अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी योजनाएं।
9. **समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं ।**
10. **खेल कूद एवं मनोरंजन।**

# खण्ड–3

## सामान्य बुद्धि परीक्षण

**प्रश्नों की संख्या : 30** **पूर्णांक : 30**

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमालिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, लुप्त वर्ण, अंक और अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध– कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनमे संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

# खण्ड–4 भाषा

## (अ) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)

**प्रश्नों की संख्या : 20** **पूर्णांक : 20**

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द–समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग/प्रत्यय
5. तत्सम–तद्भव शब्द
6. वर्तनी–शुद्धि
7. वाक्य–शुद्धि
8. समास
9. सन्धि–विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

## (ब) सामान्य अंग्रेजी (हाईस्कूल स्तर)

**प्रश्नों की संख्या : 10** **पूर्णांक : 10**

1. Use of Prepositions.
2. One Word substitution.
3. Use of Articles in English.
4. Common errors in English.
5. Idioms.
6. Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
7. Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).

A- Synonyms.

B- Antonyms.

C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.

D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

# Syllabus of Screening Test for Group 'B' Posts

## (Objective Type)

**Time: 02 hours** **Number of Questions: 150** **Maximum Marks: 150**

### SECTION I: GENERAL STUDIES [M.M.:70]

1. Current events of National and International importance.
2. Sports and Entertainment.
3. Indian History (ancient, medieval, modern).
4. Indian National Movement.
5. Indian Geography, Economy and Agriculture.
6. Natural Resources, Planning, Sustainable and Inclusive Development.
7. Natural Calamities and Disaster Management.
8. Human Resource Development Index of India.
9. Basic Knowledge of Indian Constitution - Salient features of Indian Constitution, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy. The Union Executive – The President, Prime Minister, Council of Ministers, The Union Legislature – Parliament, The Judiciary – Supreme Court and High Court, State Government and Administration – Governor, Chief Minister and Council of Ministers, Legislative Assembly, Panchayati Raj Institutions.
10. Human Rights – Meaning of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights (1948), Human Rights and Duties in India, National Human Rights Commission.
11. Various aspects of Rural and Urban Development.
12. General Science- application of Science in day- to - day life.
13. Development and Environmental Problems- Main Problems related to development, population growth, environmental pollution, emission of greenhouse gases and measures to overcome the problems. Laws for environmental conservation.
14. Biotechnology and Health Issues: Biotechnology, development of vaccines against new diseases, genetically developed plants, regeneration of worn out and dead tissues and human organs, control of pollution using bacteria, biofuel.
15. Development of Science and Technology In India :

A. Energy and Water Resources: Energy crisis, energy conservation, conventional energy sources, renewable energy, types of Indian water resources, use and management.
B. Information, Communication Technology and Computers: Development of information and communication technology in India, benefits and adverse effects. Basic components and structure of computer and its uses.

## Section II
## General Knowledge Related to Uttarakhand State

**Number of Questions: 20** **Maximum Marks: 20**

1. General Geography- Location and Extent, Structure and Relief, Climate and Drainage systems, Demography, Transport and Communication network.
2. History-
   (a) Ancient Period- Inhabiting races and tribal groups, Dynasties (*Kuninda, Paurav* and *Katyuri*).
   (b) Medieval Period – Later *Katyuri, Chand* and *Panwar* dynasties.
   (c) Modern Period- Gorkha and British Period, Post-Independence scenario.
3. Natural and Economic Resources- Water, Forest, Minerals, Livestock, Agriculture and Horticulture, Wild-life conservation, Parks and Sanctuaries
4. Political and Administrative Setup- Administrative setup at the State, District and Tehsil levels.
5. Education and Culture- Educational and Training Institutions, Dialects and Languages, Customs and Traditions, Festivals, and Fairs.
6. Social Reform Movements – Coolie *Begar, Dola -palki*, and Forest Movements.
7. Economic Development- Hydro-electricity, Industry, Horticulture, Tourism, and Herbal Industry development.
8. Developmental Plans– Scheduled Castes and Tribal Development planning.
9. Important Contemporary events.
10. Sports and Entertainment.

## Section III: General Intelligence Test

**Number of Questions: 30** **Maximum Marks: 30**

Questions of verbal , non-verbal and analytical types, analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding – decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also

include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

## Section IV: Language

### (A) GENERAL HINDI (High School Level)

**Number of Questions: 20** **Maximum Marks: 20**

1. पर्यायवाची शब्द
2. विलोम शब्द
3. शब्द–समूहों के लिए एक शब्द
4. उपसर्ग / प्रत्यय
5. तत्सम–तद्भव शब्द
6. वर्तनी–शुद्धि
7. वाक्य–शुद्धि
8. समास
9. सन्धि–विच्छेद
10. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ

### (B) GENERAL ENGLISH (High School Level)

**Number of Questions: 10** **Maximum Marks: 10**

**1.** Use of Prepositions.
**2.** One Word substitution.
**3.** Use of Articles in English.
**4.** Common errors in English.
**5.** Idioms.
**6.** Conversion of one part of speech into another, e.g., Noun to Adjective, and the like.
**7.** Comprehension of a given passage in English (questions will be asked on the following topics).
   A- Synonyms.
   B- Antonyms.
   C- Hindi translation of a given underlined English Sentence.
   D- One more question will be also based on the comprehensive passage.

| Logo of Officer (If available) |
|---|

# Experience Certificate

**Name of Deptt./Office: ........................................................................................................................................**
**Address of Deptt./Office: ...................................................................................................................................**
**Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: ..........................................................................................**
**Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust:.........................................................................................**
**Telephone No.:..........................................................................................................................................................**
**Website:..........................................................................................................................................................**

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km. .......................................................................................... Son /Daughter /Wife of shri.............................................................. is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

| Name of post held | From dd/mm/yy | To dd/mm/yy | Total Period dd/mm/yy | Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.) | Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration /Academic or any other experience. | Pay scale and last salary drawn | Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details) | Place of posting | Worked at supervisory level/middle management level/head of branch/other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| | | | | | | | | | |

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

**Date :**
**Place :**

**Sign ................................**
**(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)**
**Designation with seal**

**Name & Signature of Candidate :**

***** All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.

## स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग (CGPA, OGPA, SGPA etc.) प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु

**Ref. No.- ...............................** **Date:- .....................**

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .............................................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ...................................................... इस विश्वविद्यालय/संस्थान में विषय/उपविषय **(Subject/Branch)**...........................................................में स्नातक/स्नातकोत्तर हेतु पंजीकृत थे/थी, जिनका/जिनकी पंजीकरण संख्या ........................................................ है।

इस विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र में प्रदान किये गए ग्रेडिंग को प्रतिशत अंक में परिवर्तन का सूत्र ................................................................है। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में ग्रेडिंग के समतुल्य प्राप्तांक ............................... प्रतिशत है।

**कुलसचिव**
**(हस्ताक्षर एवं सील)**